न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 02/2017 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959
GCMS No. 2017/00151

योगेश कुमार पुत्र श्री रमणलाल जाति पुरोहित सचिव माँ करणी शिक्षण एवं शोध सोसायटी, ब्रह्मपुरी चौक, बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास बीकानेर।
2. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर
3. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री आनन्द बजाज — अभिभाषक अपीलांट
श्री दाऊलाल हर्ष — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 07.06.2022

यह अपील राजस्थान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90–क(2) के अन्तर्गत नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि सुजानदेसर के खाता संख्या 133 खसरा नंबर 110 की तादादी 0.99 हैक्टेयर का खाता विभाजन हो चुका था तथा संस्था द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(1)(ख) के अधीन खाता विभाजन का आवेदन किया गया। जिस पर पटवार हल्का गंगाशहर एवं जांचकर्ता भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.06.2016 को उक्त खाताधारियों की प्रार्थनानुसार कब्जा काश्त सही पाया गया एवं मौके पर तस्दीक किया गया तथा बंटवारें को सही पाया गया। दिनांक 08.06.2016 को पटवार हल्का गंगाशहर बीकानेर द्वारा सुजानेदसर स्थित खसरा नंबर 110 रकबा 0.99 हैक्ट. का नया तरमीमशुदा खसरा नंबर 110/1 रकबा 0.4173 हैक्ट. उतरी हिस्सा मां करणी शिक्षण एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

शोध सोसायटी बीकानेर को तथा खसरा नंबर 110/2 रकबा 0.5727 हैक्ट. दक्षिणी हिस्सा श्रीमती संतोष जोशी पत्नि श्रीनाथ जोशी का कायम करते हुए विधिवत विभाजन कर दिया। अपीलांट ने दिनांक 30.05.2016 को निर्धारित प्रपत्र में भू–उपांतरण हेतु आवेदन करने पर तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर ने दिनांक 25.11.2016 को वादग्रस्त परिसर को सील करने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 25.11.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री आनन्द बजाज ने अपनी बहस में कथन किया है कि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 07.08.2014 के द्वारा अपीलांट संस्था मां करणी शिक्षण एवं शोध सोसायटी बीकानेर का सिस्टर निवेदिता कन्या महाविद्यालय बीकानेर के नाम से स्वीकृति प्राप्त कन्या महाविद्यालय है। उक्त महाविद्यालय पूर्व में किराये की भूमि पर संचालित हो रही थी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर की आज्ञा दिनांक 07.08.2014 की शर्त संख्या 4 के अनुसार संस्था को तीन सत्रों की अवधि में स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय का भवन निर्माण करने के निर्देश थे। उक्त निर्देश दिनांक 07.08.2014 की पालना में अपीलांट संस्था द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर सिस्टर निवेदिता कन्या महाविद्यालय के लिए दिनांक 30.05.2016 को सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर के समक्ष कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 के तहत विधिवत आवेदन किया, जो आज तक विचाराधीन है। अपीलांट संस्था ने भू उपयोग परिवर्तन के आवेदन शुल्क के रूप में 41730/– रूपये दिनांक 21.06.2016 को जमा करवा दिए। उपरोक्त भूमि कन्या महाविद्यालय के लिए उपयुक्त है। तहसीलदार, नगर विकास न्यास, बीकानेर ने दिनांक 25.11.2016 को अपीलांट का उपरोक्त परिसर सील करने का निर्णय पारित कर दिया। नगर विकास न्यास बीकानेर ने दिनांक 25.11.2016 को अपीलांट संस्था द्वारा किये गये आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2016 को बिना निस्तारित किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो नगर विकास न्यास एक्ट की धारा 60 व 74 का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में जब तक रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किये गये संस्था के जवाब दिनांक 24.09.2016 में वर्णित तथ्यों का निपटारा किये बिना तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2016 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की जाकर तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.11.2016 को निरस्त किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री दाऊलाल हर्ष ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट की भूमि आवासीय है, जिसका वाणिज्यिक उपभोग किया जा रहा है। नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए सील करने की कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। विवादित परिसर सुजानदेसर पटवार हल्का गंगाशहर तहसील बीकानेर में स्थित है। प्रकरण में नगर विकास न्यास द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2016 अपीलांट संस्था के आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2016 को निस्तारित किये बिना ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नगर विकास न्यास बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.11.2016 को निरस्त किया जाता है। उक्त प्रकरण में सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर अपीलांट संस्था के भू–उपांतरण आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2016 के संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर